न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
लुम्बाराम पुत्र धरमाजी जाति कलबी निवासी सनवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही		जोरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी सनवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सुरेश कुमार शाह, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20.2.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2012 बअनवान जोरसिंह बनाम लुम्बाराम में पारित आदेश दिनांक 10.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया। ग्राम आमली के खसरा नम्बर 632 के पुराने खसरा नम्बर 217 मी. थे एवं अपीलाण्ट खसरा नम्बर 217 मी रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 16.02.2002 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा वक्त खरीद से उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से अपीलाण्ट के स्थान पर रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर दिया, जिसके संशोधन हेतु लकमाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड बेचान लिखत, संशोधन प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजात् पर कोई गौर नहीं किया तथा रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुए विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है। जेर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 629, 630 से लगती हुई है। जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा मात्र जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें विधि विरूद्ध रूप से वास्तविक तथ्यों के विवेचन के बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा इसी अनुरूप मौके पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करते है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें रेस्पोडेन्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है, मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने से भूमि इनके नाम नहीं मानी जा सकती है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है कि उक्त भूमि पर इनका कब्जा हो। उक्त भूमि मेरी खातेदारी है, जिसमें अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि अपीलाण्ट को यह बखूबी जानकारी है कि उक्त भूमि सेटलमेन्ट पूर्व में अपीलाण्ट के क्रेता के नाम दर्ज थी, इस कारण इन्होने सेटलमेन्ट पूर्व की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत ही नहीं की। इसके अतिरिक्त इनके कब्जे का भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा जिस रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि क्रय की है, उसमें खसरा नम्बर 217 मी0 अंकित है, इससे कब्जा साबित होता है। इसके अतिरिक्त यह भूमि अपीलाण्ट के कुंए से सिंचित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

होती है, मात्र भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से इनका नाम दर्ज हो गया है, जो राजस्व रेकर्ड की त्रुटी मात्र है। इस आधार पर इनका कोई हक अधिकार इस भूमि में निहित नहीं हो जाता है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा आमली के खसरा नम्बर 632 रकबा 2.4300 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि में रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी से रोकने हेतु अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। जैर अपील वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड के अनुसार रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा विधि अनुसार टाईटल को पज़ेशन का बेस्ट प्रूफ माना गया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। विधि अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु तीन बिन्दुओं का विश्लेषण आवश्यक है, जो प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में उक्त तीनों बिन्दुओं का विवेचन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पाए जाने पर जैर अपील आदेश जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2012 बअनवान जोरसिंह बनाम लुम्बाराम में पारित आदेश दिनांक 10.01.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही